DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001
शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001
Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

सत्र 2011–12 के लिये डिप्लोमा स्तरीय नई संस्था/नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने/प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु आवेदन का आमंत्रण (डिप्लोमा फार्मेसी को छोड़कर)

1. छत्तीसगढ़ राज्य में सत्र 2011–12 से नई डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थायें प्रारंभ करने/विद्यमान संस्थाओं में नये डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए तथा प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिये रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास/सोसायटी/केन्द्रीय शासन या राज्य शासन की संस्थायें/निजी संस्थायें/अनुदान प्राप्त संस्थाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । आवेदन पत्र का प्रारूप संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, छत्तीसगढ़, रायपुर से रूपये 5000.00 (रू. पॉच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (जो कि ''संचालक, तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर'' के नाम देय हो) अदा कर कार्यालयीन समय में दिनांक 30.12.2010 तक प्राप्त किया जा सकता है ।
2. (a) आवेदन पत्र (विकासात्मक प्रोफाईल रिपोर्ट के साथ) तीन प्रतियों में बनाया जाना है जिसमें से एक प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा, बायरन बाजार, रायपुर में, दूसरी प्रति छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई में एवं तीसरी प्रति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें ।

   (b) संचालनालय में जमा किये जाने वाले प्रति के साथ प्रोसेसिंग फीस के रूप में रूपये 15000.00 (रू. पंद्रह हजार मात्र) की राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि ''संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर'' के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र स्वयमेव अमान्य हो जायेगा ।
3. आवेदन पत्र संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़, कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर में स्थित कार्यालय में अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2010 तक ही कार्यालयीन समय में स्वीकार होगा ।
4. निर्धारित अंतिम तिथि 31.12.2010 के पश्चात् किसी भी स्थिति में कोई आवेदन पत्र, सत्र 2011–12 के लिये स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
5. निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक ही आवेदन करने के लिये पात्र हैं :– (1) सोसायटी/न्यास, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकृत होना चाहिए । (2) इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिये भूमि (राजधानी क्षेत्र के लिये 2.5 एकड़, अन्य क्षेत्र के लिये 05 एकड़ न्यूनतम) सोसायटी/न्यास के नाम पर आवेदन की तिथि से पूर्व पंजीकृत होनी चाहिए ।
6. नई संस्था स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार प्रमुख दस्तावेज की मूल प्रति जमा करना आवश्यक है :

(i) सोसायटी/ट्रस्ट की पंजीकरण की कॉपी, सदस्यों के नाम, उद्देश्य उसके संविधान/मेमोरण्डम ऑफ एसोसियेशन के साथ में,

(ii) भूमि के वर्गीकरण हेतु सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र यह दर्शाते हुये कि भूमि राजधानी क्षेत्र में आता है या अन्य क्षेत्र में ।

(iii) सोसायटी/ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत भूमि के दस्तावेज । भूमि Registered sale deed या Irrevocable Gift deed (Registered) या Irrevocable Govt. Lease जो 30 वर्ष से कम न हो के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है ।

(iv) साइट योजना/भवन निर्माण योजना जो एक पंजीकृत आर्किटेक्ट से बनाया गया हो एवं जिसे सक्षम अधिकारी T & CP अथवा नगरीय निवेश से अनुमोदन प्राप्त हो । सरपंच द्वारा अनुमोदित भवन योजना मान्य नही होगा ।

(v) सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि को प्रस्तावित संस्था के लिये ही उपयोग करने का संकल्प पत्र (resolution) ।

(vi) सक्षम अधिकारी से भूमि उपयोग प्रमाण पत्र/भूमि परिवर्तन प्रमाण पत्र । भूमि का उपयोग शैक्षणिक प्रयोजन के लिये ही होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है । साथ में संस्था के लोकेशन को दर्शित करता हुआ टोपो स्केच/गॉव का नक्शा, सर्वे नंबर (खसरा नंबर)/शहर के रोड नक्शे के साथ जिससे संस्था का गॉव के सापेक्ष में लोकेशन पता चलता हो ।

(vii) वर्किंग केपीटल प्रमाण के लिये वर्तमान स्थिति में Latest Position of Bank FD, SB A/c and Current A/c की छायाप्रति । वर्किंग कैपीटल रू. 50.00 लाख होना आवश्यक है ।

(viii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), संस्था खोलने के लिये Justification एवं Viability के साथ ।

7. प्रोसेसिंग की प्रकिया (नई संस्थाओं के लिये) निम्नानुसार होगी ।

(i) प्राप्त आवेदनों को एक स्क्रूटनी समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा एवं कमी पाये जाने पर संबंधित सोसायटी को सूचित किया जायेगा जिसका Compliance निर्धारित तिथि तक आवश्यक है ।

(ii) स्क्रूटनी समिति अपनी अनुशंसा राज्य स्तरीय समिति को भेजेगी ।

P.T.O.

(iii) राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय, LOI जारी किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में संबंधित को सूचित करेगी ।

(iv) जिन सोसायटी को LOI जारी की जायेगी उन्हें रू. 25000.00 का डी.डी. ''संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर'' के नाम से निरीक्षण हेतु प्रोसेसिंग शुल्क संचालनालय में जमा करना होगा ।

(v) सोसायटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं ''संचालक, तकनीकी शिक्षा, रायपुर'' के संयुक्त नाम से Joint Fixed Deposit (JFD) रू. 15.00 लाख का करना होगा । जिसकी मूल प्रति सोसायटी के पास एवं छायाप्रति संचालनालय में रहेगी सोसायटी को एक शपथपत्र देना होगा कि बिना तकनीकी शिक्षा संचालनालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमति के JFD को Encash/परिवर्तित नहीं किया जायेगा । तकनीकी शिक्षा संचालनालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के निर्देशों, नार्म्स/शर्तो को उल्लंघन करने की स्थिति में Joint Fixed Deposit को जब्त (forfiet) किया जा सकता है ।

(vi) उपरोक्त बिन्दु (iv) एवं (v) को पूरा करने के बाद तथा जब सोसायटी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नार्म्स के अनुसार भवन, उपकरण, फर्नीचर, पुस्तकें, फेकल्टी आदि की पूरी तैयारी कर लें तो वह प्रस्तावित संस्था के निरीक्षण के लिये तकनीकी शिक्षा संचालनालय को आवेदन करेगी ।

(vii) सोसायटी से आवेदन प्राप्त होने पर शासन द्वारा गठित विजिटिंग एक्सपर्ट कमिटी द्वारा प्रस्तावित संस्था का निरीक्षण किया जावेगा एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नार्म्स एवं स्टेण्डर्ड के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक शिक्षण प्रदान कराने की सक्षमता/तैयारी के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय समिति के सामने रखेगा ।

(viii) राज्य स्तरीय समिति अपनी अनुशंसा को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेगी ।

(ix) राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, LOA जारी किये जाने अथवा नहीं किये जाने की सूचना संबंधित सोसायटी को देगी ।

(x) यदि LOA जारी नहीं किया जाता है तो सोसायटी इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अपील कर सकेगी ।

टीप :- (1) संपूर्ण नार्म्स एवं गाइड लाइन्स के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की वेबसाइट www.aicte-india.org का अवलोकन किया जा सकता है । यदि परिषद्/शासन द्वारा नार्म्स अथवा गाइडलाइन में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह लागू रहेगी ।

(2) डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु आवेदन नहीं मंगाये जा रहे हैं । इस पर विचार नहीं किया जायेगा इस हेतु आवेदन न करें ।

संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
रायपुर